

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक 28 फरवरी, 2017

पत्र संख्या-1/एल1-10-08/2015 गृ0आ0 1766 /श्री डी0 अमरकेश, भा0पु0से0 (2013), सहायक पुलिस अधीक्षक-सह-अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बेलसंड, सीतामढ़ी को अपने घर पर आवश्यक कार्यवश हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 04.02.2017 से 23.02.2017 तक कुल 20 (बीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री अमरकेश के अवकाश अवधि में पुलिस उपाधीक्षक (मु0), सीतामढ़ी को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक पुलिस अधीक्षक-सह-अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बेलसंड, सीतामढ़ी के प्रभार में रहने की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-08/2015 गृ0आ0 1766 /पटना, दिनांक 28 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-08/2015 गृ0आ0 1766 /पटना, दिनांक 28 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-08/2015 गृ0आ0 1766 /पटना, दिनांक 28 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री डी0 अमरकेश, भा0पु0से0 (2013), सहायक पुलिस अधीक्षक-सह-अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बेलसंड, सीतामढ़ी/पुलिस उपाधीक्षक (मु0), सीतामढ़ी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।